सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी [illegible]

2021/36

नवनीत कुमार बनाम मधवीर

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में
		12/8/22 पत्रावली पेश हुई। P.O साहब दौरे/ अन्य कार्य में [illegible] के कारण कार्यवाही नहीं [illegible] सकी। पत्रावली दिनांक 30/8/22 को पेश हो।
		30/8/22 पत्रावली पेश हुई। P.O साहब दौरे/ अन्य कार्य में [illegible] के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 13/9/22 को पेश हो।
	13/9/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता हाजिर। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पर ~~बहस~~ बहस सुनी गई। उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने ~~के कारण~~ साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

Scanned with OKEN Scanner

2021/36

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

नवनीत कुमार बनाम महावीर

...ा /वर्ष : 25 /2021

...ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	स्वीकार किया जाकर वाद का डिक्री पारित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती मे दर्ज हो। [signature] सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. नवनीत कुमार पुत्र प्रकाश चन्द जैन जाति महाजन निवासी ग्राम दनाउकलां तहसील बस्सी हाल तूंगा जिला जयपुर।		1 महावीर कुमार पुत्र राजमल जाति महाजन निवासी ग्राम दनाउकलां तहसील बस्सी हाल तूंगा जिला जयपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी हाल तहसीलदार तूंगा जिला जयपुर 3. उप पंजीयक तूंगा तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर। 4. नायब तहसीलदार तूंगा उपतहसील तूंगा तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर।

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

मुकदमा न0 25/2021 निर्णय दिनांक 13.09.2022

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपासी पर पूर्व में बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपासी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है।

यह कि वादी/अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त झूठा, बेबुनियाद एवं मिथ्या वाद सिर्फ और सिर्फ मिन प्रार्थी को हैरान व परेशान करने के लिये घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है।

यह कि वादी/अप्रार्थी ने वादपत्र में अनुतोष चाहा कि वादपत्र के मद नम्बर एक में वर्णित भूमि वादग्रस्त के हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावें इस संबंध में मिन प्रार्थी/प्रतिवादी का माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी ने वादपत्र के मद नम्बर एक व तीन में जिन खसरा नम्बरान् का उल्लेख किया है उन खसरा नम्बरान् को पूर्व में वादी के पिता प्रकाशचन्द व अन्य खातेदारान् के मध्य आपसी सहमति से तहसीलदार बस्सी के समक्ष विभाजन हो चुका है एवं उक्त विभाजन आदेश आज अंतिम आदेश है जिसको आज दिनांक तक किसी ने चुनौती नहीं दी है इसलिए हस्तगत वादपत्र

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विधि के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया होने के कारण प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

4. यह कि वादी/अप्रार्थी के पिता प्रकाशचन्द को आपसी सहमति से हुये विभाजन में भूमि खसरा नम्बर 759/1 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1037 रकबा 0.95 हैक्टेयर, 1055 रकबा 1.49 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.60 हैक्टेयर ग्राम दनाउकलां तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्राप्त हुई एवं वादी/अप्रार्थी एवं उसके पिता प्रकाशचन्द ने तहसीलदार बस्सी द्वारा किये गये विभाजन आदेश को सही मानते हुये, वादी/अप्रार्थी ने अपने पिता प्रकाशचन्द से उनके हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 759/1 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1037 रकबा 0.95 हैक्टेयर कल किता 2 कल रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि का उपहार पत्र दिनांक 30.12.2015 को राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी उप पंजीयक बस्सी के समक्ष उपस्थित होकर अपने पक्ष में पंजीबद्ध करवाया एवं कब्जा प्राप्त किया एवं उसके पश्चात् अपने पिता प्रकाशचन्द के नाम दर्ज शेष भूमि खसरा नम्बर 1055 रकबा 1.55 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 भाग पर अपना कब्जा बताते हुए माननीय ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर के समक्ष एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें वादी/अप्रार्थी के पिता प्रकाशचन्द द्वारा उनकी समस्त सम्पत्ति का दिनांक 09.05.2014 को किये बाहमी बंटवारे को वादी/अप्रार्थी ने अपना मुख्य आधार माना। जिस वाद एवं बाहमी बंटवारे में उक्त वादपत्र में वर्णित विवादित खसरा नम्बर का ना तो कोई हवाला है, ना ही उस पर कब्जे के संबंध में कोई हवाला है ऐसी स्थिति में वादी/अप्रार्थी अपनी स्वीकृति से पाबन्द है एवं एस्टोप्ल के सिद्वान्त के आधार पर उक्त दावा चलने योग्य नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है एवं स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

5. यह कि वादी ने उपरोक्त उनवानी वादपत्र स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है एवं तथ्य छिपाते हुये प्रस्तुत किया है एवं विधि की स्पष्ट मंशा है कि जो कि व्यक्ति न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आयेगा वह किसी प्रकार की कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

6. यह कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस0बी0 सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 38/2010 में दिनांक 22.12.2016 को यह आदेश प्रदान किया है कि "यदि वादपत्र सख्ती से आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत नहीं आता है, यह धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है–तुच्छ और परेशान करने वाला वाद प्रारम्भ में ही दबा देना चाहिये" एवं वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है उस वाद को पढने मात्र से यह लगता है वह भी तुच्छ एवं परेशान करने वाला ही वाद है जिसे न्यायहित में प्रारम्भ में दबा दिया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपासी का जवाब पेश कर निवेदन किया जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है।

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

9. यह कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 2 जिस प्रकार वर्णित किया गया है कानूनन चलने योग्य नही है एवं अस्वीकार है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठायी गयी आपत्ति कानूनन चलने योग्य नही है क्योंकि वादपत्र के मद संख्या 1 एवं 3 में वर्णित भूमिवादग्रस्त का विभाजन हुआ था वह विधि विरूद्ध था एवं कानूनन सह–खातेदारी की भूमि का विभाजन सह–खातेदारों के मध्य डिवीजन ऑफ होल्डिंग रूल्स 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमों व प्रावधानों के तहत बाई मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर होता है एवं भूमिवादग्रस्त खसरा नम्बर 754 रकबा 0.67 हेक्टेयर स्थित ग्राम दनाउकलां तहसील बस्सी जिला जयपुर मुख्य सडक पर स्थित है एवं उक्त भूमि वादग्रस्त के हिस्सा 1/3 के पूर्व में काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादी के पिता प्रकाशचन्द पुत्र भौरीलाल थे एवं कानूनन विभाजन में उक्त भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि वादी के पिता प्रकाशचन्द को मिलनी चाहिये थी एवं उन्हे विभाजन में नही दी गयी एवं वादी के पिता को यह जानकारी नही थी कि भूमिवादग्रस्त रोड से लगती हुई भूमि है एवं वादपत्र के मद संख्या 1 व 3 में वर्णित भूमिवादग्रस्त का पूर्व का विभाजन विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण कानूनन प्रारम्भ से ही शून्य है एवं उक्त विधि विरूद्ध विभाजन के लिये वादी के पिता द्वारा कोई सहमति नही दी गयी थी एवं वादी के पिता ने तत्कालीन तहसीलदार बस्सी को सह खातेदारी की भूमिवादग्रस्त का सरस नरस के आधार पर विभाजन करने की सहमति दी गयी है एवं वादी का वादपत्र विधि के प्रावधानो से वर्जित नही है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है कानूनन चलने योग्य नही है एंव अस्वीकार है क्योंकि उक्त विभाजन विधि विरूद्ध है एवं उक्त विभाजन के विधि विरूद्ध होने से वादी कानूनन पाबंद नही है एवं विधि विरूद्ध आदेश को काबिज पक्षकार द्वारा किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 7 अस्वीकार है क्योंकि वादी का वादपत्र धारा 88 आरटी एक्ट 1955 के प्रावधानो के तहत वैध रूप से पेश किया गया है एवं वादी का वादपत्र परेशान करने वाला वादपत्र नही है एवं वादी का वादपत्र धारा 151 सीपीसी के प्रावधानो के तहत मान्य न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य वादपत्र नही है।

12. अत– प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को न्यायहित मे मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

13. उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

14. वकील अप्रार्थी/वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में दौराने बहस निम्नांकित नजीरे पेश कि–

1. RRT 2009(2) Page 882 (HIGH COURT)
2. RRD 2015 Page 689 (Board)
3. RRD 2017 Page 15 (Board)
4. RRT 2011(2) Page 386 (SC)

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. नवनीत कुमार पुत्र प्रकाश चन्द जैन जाति महाजन निवारी ग्राम दनाउकलां तहसील बस्सी हाल तूंगा जिला जयपुर।		1. महावीर कुमार पुत्र राजमल जाति महाजन निवासी ग्राम दनाउकलां तहसील बस्सी हाल तूंगा जिला जयपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी हाल तहसीलदार तूंगा जिला जयपुर 3. उप पंजीयक तूंगा तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर। 4. नायब तहसीलदार तूंगा उपतहसील तूंगा तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर।

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

मुकदमा न0 25/2021

निर्णय दिनांक 13.09.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया र वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है।..............निजी..................मुबलिक..................बाबत...... ....खर्चा..................इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..............फीसदी सालाना आज की तारीख नेयाव तक..................को अदा करें।
ख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13.09.2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त..............................
ओहदा...सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
वकील			महन्ता वकील		
गवाहन			खर्चा गवाहन		
कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
क			मुतफरिक		
न			मीजान		

इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या र्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner